सं0- 19011/26/2014/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. / 2136-3535
दूरभाष -23793521
फैक्स-23018740
भारत सरकार
GOVERMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 07.11.2014

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्‌यम/स्वयात्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषयः- भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्‌वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में - पांच पूर्ण कार्य-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वर्ष-2015.

महोदय/महोदया,

भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षक (Faculty Members) अपने संस्थानों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान कर सकें इसी उद्‌देश्य के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्‌वारा इन प्रशिक्षकों के लिए हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । वर्ष 2014 तक इस संस्थान द्‌वारा 40 (चालीस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं । कार्यालयों/ प्रशिक्षण संस्थानों में अभी भी ऐसे संकाय सदस्यों (Faculty Members) की संख्या काफी है, जिन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाना शेष है इसलिए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्ष 2015 में भी चलाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थानों/कार्यालयों के प्रशिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें ।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्‌देश्य	अवधि	नामित अधि. की पात्रता/पदनाम	भारत सरकार के प्रशि.संस्थान /कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्‌वारा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना ! उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाना ।	18.05.2015 से 22.05.2015 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	ऐसे संकाय सदस्य (Faculty members) जो अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दे रहे हैं पर जिन्हें हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण देने में कठिनाई हो रही है ।	भारत सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान, मंत्रालय, विभाग, सरकारी उपक्रम, बैंक, निगम, सांविधिक निकाय, लोक उद्‌यम, संगठन आदि ।

...2..

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली–110011/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi- 110011 फैक्स /Fax-011-23018740
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in /वेबसाइट /Website : http://rajbhasha.nic.in/rajbhashachti.htm

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'I' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को भिजवाएं ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी को इस कार्यालय द्वारा अलग से यथासमय पुष्टि पत्र भेजा जाएगा ।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुष्टि दिए जाने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय नामित संकाय सदस्यों (Faculty members) को कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए कार्यमुक्त करें ।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- **प्रशिक्षण केंद्र का पताः** अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे एंड के हाउस के सामने/राजस्थान भवन के नजदीक) नई दिल्ली-110011

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें ।
- यात्रा/दैनिक भत्ता आदि जो भी नियमानुसार देय होगा वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं ।
- कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इस कार्यक्रम में जिन अधिकारियों के नामों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा भेजी जाती है उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए । यदि किसी कारणवश उन्हें छोड़ना संभव न हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेजा जा सकता है । नामित अधिकारी को ऐसे ही किसी अगले कार्यक्रम में भिजवाने की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें ।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र तथा कार्यमुक्ति आदेश दिया जाएगा ।
- संस्थान के अधिकारियों के संपर्क सूत्र **प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता एवं उनके बस रूट / निकटतम मेट्रो स्टेशन आदि के लिए अनुलग्नक - II देखें ।**
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक से फोन नं. 011-23793521 पर संपर्क करें ।

भवदीय,

(डॉ0 जय प्रकाश कर्दम)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-19011/26/2014/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. /2736 - 3535 दिनांकः 07/11/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -11 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -11 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ।
5. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन,नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।
9. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
10. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बेंगलूर ।

(डॉ0 जय प्रकाश कर्दम)
निदेशक

प्रपत्र

प्रशिक्षक का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती का स्थल	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं(कार्यालय /मोबा.	ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

संस्थान का पूरा पता...

टेलीफोन नं. ....**मोबाइल नं**............................ **फैक्स नं.** ....

ई मेल आई डी ..